न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—14/2022 (2022/118) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जगदीश पिता जयसिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बद्रीलाल पिता जयसिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मंगनीराम पिता जयसिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—सुरेश पिता जयसिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—शंकरलाल पिता गोकलचन्द्र कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा
2—गोपीलाल पिता महादेव ब्राहम्ण निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—पन्नालाल पिता कालु बलाई निवासी पसुन्द तहसील राजसंमद
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद मंसुरी — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. हरिश चन्द्र टेलर — विपक्षीगण अधिवक्ता

दिनांक—05.07.2023

निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2038 रकबा 0.87 है0 भूमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 365 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजी में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित विपक्षी की आराजी संख्या 2121 रकबा 0.30 है0 गै.मु. रास्ता से होते हुए विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2049 रकबा 1.12 है0 की उत्तरी पाली व विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 2034 रकबा 0.34 है0 व विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 2035 रकबा 0.30 है0 व आराजी संख्या 2036 रकबा 0.26 है0 की दक्षिणी पाली पर होते हुए करते चले आ रहे है जिससे अरसा करीब 50 वर्ष हो चुके है। प्रार्थीगण को उक्त आराजियात में आवागमन करने मे विपक्षीगण आये दिन अड़चन व बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन का एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजियात में होकर जाने का ही है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजियात में पहॅुच का अन्य कोई वेकल्पिक मार्ग नही है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण का आत्यधिक आवश्यकता का रास्ता है। विपक्षीगण उक्त रास्ते को बन्द कर दिया एवं रास्ते में होकर आवागमन करने में रोक लगा दी जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आवागमन नही कर पा रहे है जिससे उक्त रास्ते को बिलानाम गै.मु. रास्ता दर्ज करवाया जाना न्यायोचित हो गया है। अतः प्रार्थीगण की सादर है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 2049 रकबा 1.12 है0, आराजी संख्या 2034 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 2035 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 2036 रकबा 0.26 है0 की उत्तरी एवं दक्षिणी पाली पर बराबर आधे—आधे रकबे से 15

फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाये जाने एवं उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु. रास्ते के रूप दर्ज करवाये जाने का तहसीलदार रायपुर के नाम आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 4 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि प्रार्थीगण श्री चम्पालाल, जगदीश, बद्रीलाल, मंगनीराम, सुरेश पिता जयसिंह जाट बरदी पत्नि जयसिंह जाट ने ग्राम नाथड़ियास में स्थित खातेदारी आराजी संख्या 2038 रकबा 0.87 है0, में आवागमन हेतु प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 2049 की उत्तरी मेड़ व आराजी संख्या 2034, 2035, 2036 की दक्षिणी मेड़ पर 15 फीट चौड़ा रास्ता हेतु वाद दायर किया है। मौके पर बिलानाम आम रास्ता आराजी संख्या 2121 तक खुला है आगे प्रार्थीगण, विपक्षीगण की मेड़ पर होकर आते जाते हैं। बिलानाम आम रास्ता आराजी संख्या 2121 से आगे प्रतिवादीगण ने थोर की बाड़ व छड़िया लगा रखी है जिससे प्रार्थीगण को आवागमन मे समस्या है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2038 के चारो तरफ खातेदारी भूमियां स्थित है उक्त रास्ते के अलावा राजस्व रेकार्ड के अलावा राजस्व रेकार्ड व नक्षे में दुसरा रास्ता मौके पर स्थित नही है। प्रार्थीगण ने बताया कि आम रास्ता आराजी संख्या 2121 से होकर विपक्षीगण की मेड़ आराजी संख्या 2049 व 2034, 2035 व 2036 की मेड़ पर होकर आते जाते रहे है। वर्तमान में फसल के समय बाड़ लगाकर आवागमन बन्द कर देते है। प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 2038 में आवागमन हेतु प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 2034, 2035, 2036, 2049 की मेड़ पर 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है जिसमें निम्नानुसार रकबा प्रभावित होता है। ग्राम नाथड़ियास की डी.एल. सी. दर सिंचित 699047 / — रूपये है। आराजी संख्या 2034 रकबा 0.34 है0 मे से 0.01 है0, आराजी संख्या 2035 रकबा 0.30 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 2036 रकबा 0.26 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 2049 रकबा 1.12 है0 मे से 0.02 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.07 है0 भूमि रास्ते के रूप में प्रस्तावित की गई है। डीएलसी दर से राशि 48930 / —रूपये का दुगुना करने पर 97860 / — रूपये मुआवजा राशि बनती है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस मं लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा वर्तमान रास्ते को ब्ल्यू स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा मौके पर आराजी संख्या 2049 व 2051, 2052, 2071 के मध्य मेड़ पर खातेदारी में रास्ता बना हुआ है जिससे आगे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2038 व आराजी संख्या 2026 से बन्द है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थीगण वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है जो तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट

है कि प्रस्तावित रास्ते की दुरी वैकल्पिक रास्ते की दुरी से कम है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थीगण कई वर्षो से आवागमन कर रहे हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थीगण की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी को काफी अवसर देने के बावजूद अपना जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रस्तावित रास्ते से ही प्रार्थीगण का आवागमन होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 2038 रकबा 0.87 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 2034 रकबा 0.34 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि, विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 2036 रकबा 0.26 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 2035 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि, विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2049 रकबा 1.12 है0 मे से 0.02 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 699047 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 48930 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 97860 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है (उक्त मुआवजा राशि मे से विपक्षी संख्या 1 को 27960 / —रूपये, विपक्षी संख्या 2 को 13980 / —रूपये, विपक्षी संख्या 3 को 55920 / —रूपये) जिसका भुगतान विपक्षीगण को करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—14 / 2022 (2022 / 118) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जगदीश पिता जयसिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बद्रीलाल पिता जयसिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मंगनीराम पिता जयसिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—सुरेश पिता जयसिंह जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—शंकरलाल पिता गोकलचन्द्र कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा
2—गोपीलाल पिता महादेव ब्राहम्ण निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—पन्नालाल पिता कालु बलाई निवासी पसुन्द तहसील राजसमंद
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 2038 रकबा 0.87 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 2034 रकबा 0.34 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि, विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 2036 रकबा 0.26 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 2035 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि, विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2049 रकबा 1.12 है0 मे से 0.02 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 699047 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 48930 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 97860 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है (उक्त मुआवजा राशि मे से विपक्षी संख्या 1 को 27960 / —रूपये, विपक्षी संख्या 2 को 13980 / —रूपये, विपक्षी संख्या 3 को 55920 / —रूपये) जिसका भुगतान विपक्षीगण को करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा